2016/54

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –राजन विशाल,जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या 124/2016

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1–बद्रीराम पुत्र कुम्भाराम 2–मानी पत्नी बद्रीराम जातियान जाट निवासीगण वार्ड नं0–1 डाकघर, कमेड़िया, पुलिस थाना, सुरपालिया, तहसील जायल जिला नागौर।		शैतानराम पुत्र तेजाराम (कथित दत्तक पुत्र बद्रीराम) जाति जाट निवासी वार्ड.–1 डाकघर, कमेड़िया, पुलिस थाना सुरपालिया, तहसील जायल, जिला नागौर।

आदेश **दिनांक 16.01.2017**

यह अपीलान्टस् ने न्यायाभिकरण भरण पोषण (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) जायल द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–01/2016 बद्रीराम वगैरह बनाम शैतानराम में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2016 से व्यथित होकर दिनांक 13.12.2016 को यह अपील पेश की है, जो दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट जायल ने अपीलान्ट संख्या–1 व 2 बद्रीराम व मानी द्वारा अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट शैतानाराम के विरूद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या–01/2016 में अपने निर्णय दिनांक 14.10.2016 से मामला भरण पोषण या अभिभावकों के कल्याण का नहीं होकर सम्पति विवाद का होना, अपीलान्टस् को सामाजिक सुरक्षा से पेंशन भी मिल रही है, जो दोनों के खाने पीने के लिये पर्याप्त होना तथा अपीलान्टस् द्वारा अपनी आधी भूमि अपनी पुत्री को बख्शीश की है,परन्तु उसके विरूद्ध भरण पोषण की मांग नहीं करना एवं प्रकरण के सम्पूर्ण अवलोकन से यह भरण पोषण का मामला नहीं होकर पुत्री और दत्तक पुत्र में सम्पति के विवाद का प्रकरण होना जो इस अधिनियम में उनके न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता मानकर अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया की अपीलार्थीगण वृद्ध, असहाय होकर वरिष्ठ नागरिक है तथा अपीलान्ट के कोई जायंदा पुत्र संतान नहीं होकर एक मात्र जायंदा विवाहित पुत्री है उक्त पुत्री के विवाह के पश्चात अपीलार्थीगण अकेले हो गये। इस पर प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण की भावनाओं से खेलकर एवं उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर छल कपट व मिथ्या व्यपदेशन कर दिखावटी रूप से गोद विलेख निष्पादित करवा कर अपीलार्थीगण की ग्राम कमेड़िया के खसरा नम्बर 373/1 रकबा 39.05 बीघा, ग्राम गढ़रिया के खसरा नम्बर 135 रकबा 42.07 बीघा व खसरा नम्बर 144/318 रकबा 21 बीघा में से 1/2 हिस्सा कुल 51 बीघा भूमि स्वंय के नाम करवा ली व हमारे जीतेजी उक्त 1/2 भूमि को प्रत्यर्थी ने अपने पुत्र सोहनराम को बख्शीश कर दी। प्रत्यर्थी की चल रही बस व वाणिज्यिक वाहन भी अपने पुत्रों के नाम करवा रखा है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण की भूमि यह कहते हुऐ हथियाई कि वह अपीलार्थीगण की सारसंभाल करेगा तथा भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करेगा। लेकिन सम्पति अपने नाम करवाने के बाद प्रत्यर्थी कर्तव्यों से विमुख हो गया तथा अपीलार्थीगण को दर–दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। प्रत्यर्थी उपरोक्त भूमि का 1/2 हिस्सा भी हथियाना चाहता है, जिससे उसकी नीयत को देखते हुए अपीलार्थीगण ने शेष 1/2 भूमि अपनी पुत्री मांगुदेवी को बख्शीश कर दी। अपीलार्थीगण के पास आय का व स्वंय के भरण पोषण का कोई आधार नहीं रहा है। अपीलार्थी संख्या–1 को नेत्र दोष व बवासीर की बीमारी है तथा अपीलार्थी संख्या–2 भी वृद्ध होने से बीमार है, जिनकी दवाईयों पर लगभग–3–4 हजार रूपये प्रतिमाह खर्चा होता है। अपीलार्थीगण को खानपान की व्यवस्था में 5000/–रूपये लग जाते है तथा डॉक्टरों को दिखाने के लिए आने–जाने में 1000/–रूपये प्रतिमाह खर्चा हो जाता है व छोटे मोटे 2000/–रूपये प्रतिमाह खर्च होते है। इससे कम खर्चे में काम चलना संभव नहीं है।

प्रत्यर्थी ने पिछले 5–6 सालो से न तो कुछ खाने पीने के लिए दिया न खर्चे के रूपये दिये है, अपीलार्थी संख्या–1 के आखों का ऑपरेशन व अपीलार्थी संख्या–2 के बीमारी होने पर 1,50,000/–रूपये कर्जा लेकर ईलाज करवाया, इतनी सम्पति होते हुए भी प्रत्यर्थी के कारण अपीलार्थीगण को भूखा व असहाय जीवन बीताना पड़ रहा है।

अधिनस्थ न्यायाधिकरण ने अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व धारा 8(2) के अनुसार अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया और न ही उन्हे सुनवाई की तारीख की सूचना देकर मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है।

प्रत्यर्थी शैतानाराम ने अपीलार्थीगण के साथ धोखा करके गोदनामा तैयार कर लिया और उक्त गोदनामा के आधार पर अपीलार्थी संख्या 1 की बिना जानकारी के उसकी खातेदारी की कुल भूमि 102 बीघा के आधे हिस्से का अपीलार्थी संख्या 1 के साथ खातेदार दर्ज करवा दिया, जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में चल रही है। उक्त अपील के पश्चात शैतानराम ने सन् 2007 के पश्चात वादग्रस्त भूमि का आधा हिस्सा अपने पुत्र सोहनराम के नाम से पौशिदा तौर पर बख्शीश करके उसके नाम खातेदारी दर्ज करवा दी, अपीलार्थीगण राजस्व न्यायालय के उक्त निर्णय व बख्शीश से बाध्य नहीं है और अधिकरण को धारा 10(2) के अनुसार उक्त निर्णय व सोहनराम के नाम किये गये हस्तान्तरण को अवैध घोषित करने का अधिकारी है क्योंकि राजस्व न्यायालय का उक्त निर्णय व अपने पुत्र सोहनराम के नाम प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया हस्तान्तकरण सरसरी तौर पर अपीलार्थीगण को उनकी कृषि भूमि के मालिकाना हक से वंचित करने व उनके भरण पोषण की व्यवस्था समाप्त करने की नीयत से किया गया है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 10(2) के प्रावधानों पर विचार किये बिना ही राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील के आधार पर अपीलार्थीगण का आवेदन अस्वीकार करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है।

प्रत्यर्थी जब अपीलार्थीगण का अपने आप को दत्तक पुत्र बता रहा है तथा उनकी खातेदारी भूमि उसने अपने व अपने पुत्र के नाम दर्ज करवा कर अवैध कब्जा करवा रखा है और जबाब में भी उसने भरण पोषण देने से इन्कार नहीं किया है, तो वैसी सूरत में अधीनस्थ न्यायाधिकरण का यह कर्तव्य था कि वह अपीलार्थीगण के लिए उाके आवेदन में उल्लेखित भरण पोषण की राशि धारा 9 के अनुसार निर्धारित करते। मगर अधीनस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त कानूनी प्रावधानों पर अपने अधिकार क्षैत्र पर विचार किये बिना ही और जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध है।

प्रत्यर्थी ने भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 लागु होने के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि अपने पुत्र सोहनराम के नाम की है, जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या–1 के स्वामित्व की थी। इसलिए उक्त अन्तरण धारा 23(1) के अनुसार अवैध है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से वंचित करने व उनको भरण पोषण देने के दायित्व का निर्वहन नहीं करने की नियत से अपने पुत्र के नाम सन् 2007 के पश्चात की गई बख्शीश को अवैध घोषित नहीं करने की कानूनी त्रुटि करने का कथन करते हुए अपीलार्थीगण ने धारा 5 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन में उल्लेखित 12हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी से भरण पोषण दिलाने तथा वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 373/1 रकबा 39.5 बीघा मौजा कमेड़िया व खसरा नम्बर 135 रकबा 42 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 144/318 रकबा 21 बीघा मौजा गढरिया तहसील जायल का 1/2 हिस्सा वापस अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट ने इस प्रकरण में स्वंय द्वारा प्रस्तुत जबाब में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए एवं अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुवे अपनी बहस में कथन किया की गोद अपीलार्थीगण ने सहमति व स्वीकृति से लिया था तथा छल कपट के आरोप निराधार है। सहायक कलक्टर जायल ने निर्णय दिनांक 6.11.1999 द्वारा भूमि में आधा हिस्सा प्रत्यर्थी का घोषित किया है, उसने अपनी भूमि अपने लड़के को हस्तान्तरित कर दी परन्तु बस वगैरह का हस्तान्तरण नहीं किया है। स्वंय अपीलार्थीगण ने भी अपना आधा हिस्सा अपनी पुत्री के नाम हस्तान्तरित कर दिया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान अनुसार अपीलार्थीगण ने अपनी जायदाद अपने गोदपुत्र व पुत्री को आधी–आधी दी है। अतः दोनों अपीलार्थीगण के भरण पोषण के लिए जिम्मेवार है। प्रत्यर्थी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुआ है वह भरण पोषण करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका वह पालन करेगा। अपीलार्थीगण ने खर्चा बहुत अधिक लिखाया है तथा अपीलार्थीगण का ईलाज प्रत्यर्थी ने ही करवाया है। ग्रामीण परिवेश में भरण पोषण 1000/–रूपये प्रतिमाह समुचित है उसका आधा हिस्सा वह देने को तैयार है तथा आधा हिस्सा अपीलार्थीगण की पुत्री से दिलवाया जावे। प्रत्यर्थी ने राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण की पुत्री द्वारा की

गई अपील के शीर्षक की प्रति, आर्डर शीटे, गोदनामा की प्रति, राजस्व अपील अधिकारी नागौर के निर्णय की फोटो प्रति तथा अपीलार्थीगण द्वारा अपनी पुत्री के हक में निष्पादित बख्शीशनामा की फोटो प्रति तथा अपीलार्थीगण के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पी.पी.ओ. पेश किये, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पूर्णतया सुनवाई का अवसर दिया था, मगर अपीलार्थीगण जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन व विवेचन करते हुए अपीलार्थीगण का आवेदन अस्वीकार करने का आदेश दिनांक 14.10.2016 को पारित कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील सरासर मिथ्या आधारों पर प्रत्यर्थी को तंग करने के लिए की गई है।

अपीलार्थीगण ने ही अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया था। इसलिए अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का नोटिस आदि देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलार्थीगण बाद में जानबूझ कर हाजिर नहीं हुए है। अपीलार्थीगण ने कुटुम्ब के सदस्यों के सामने विधिवत गोद लेकर राजीखुशी गोदनामा निष्पादित करवाकर उप पंजीयक कार्यालय में पंजिबद्ध करवाया गया था, जिसे ऐसी कार्यवाही के जरिये चुनौती देने का अपीलार्थीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण का कथन की उक्त गोदनामा के आधार पर अपीलार्थी संख्या–1 की बिना जानकारी के उसकी खातेदारी की कुल 102 बीघा भूमि के आधे हिस्से का अपीलार्थी संख्या–1 के साथ खातेदार दर्ज करवा दिया हो, गलत है। जबकि उक्त खातेदारी का इन्द्राज अपीलार्थी स्वंय ने अपनी स्वेच्छा से करवाया था। रेस्पोडेन्ट ने बहैसियत खातेदार व अपने विधिक अधिकारों को प्रयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि का आधा हिस्सा अपने विकलांग पुत्र सोहनराम के नाम बख्शीशनामा किया है, जो कानूनी रूप से सही है, इसे न्यायालय हाजा में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज के संबंध में कार्यवाहियां केवल सिविल न्यायालय में ही हो सकती है। अधिकरण को धारा 10(2) के अनुसार सोहनराम के नाम किये गये हस्तान्तकरण को अवैध घोषित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अपीलार्थीगण को भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है। अपीलार्थीगण के पास 1/2 हिस्सा भूमि रही थी, जो उन्होने अपनी पुत्री के नाम हस्तान्तरित कर दी है। यदि अपीलार्थीगण को भरण पोषण की समस्या होती हो अपनी 1/2 हिस्से की भूमि को वे हस्तान्तरित नहीं करते। प्रत्यर्थी भरण पोषण करने को सदैव तैयार था व है। अपीलार्थीगण ने 1/2 हिस्सा की भूमि प्रत्यर्थी को दी व 1/2 हिस्सा की भूमि अपनी पुत्री को दी है, जिससे अपीलार्थीगण के भरण पोषण हेतु ज्यादा से ज्यादा 1000/–रूपये प्रतिमाह खर्च हो सकते है, जिस राशि में से आधी प्रत्यर्थी व आधी राशि अपीलार्थीगण की पुत्री वहन करेगी जिस हेतु प्रत्यर्थी तैयार था व है, का कथन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत गोदनामा दिनांक 8.1.99 के अनुसार अपीलान्ट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेन्ट गोद लिया गया है, गोदनामें में रेस्पोडेन्ट के माता पिता की सहमति है तथा उक्त गोदनामें पर लिछमणराम पुत्र गुमानाराम व अन्य द्वारा अपीलान्ट संख्या–1 के कहने पर साख भी डाली हुई है तथा अपीलान्ट सं.–2 द्वारा भी रेस्पोडेन्ट को गोद लेना स्वीकार किया है। उक्त गोदनामा उप पंजियक जायल से रजिस्टर्ड है। इसलिए उक्त गोदनामा छल–कपट से करवाया जाना साबित नहीं है साथ ही ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। बख्शीशनामा दिनांक 4.11.2015 के अनुसार उक्त बख्शीशनामा अपीलान्ट संख्या–1 के द्वारा अपनी पुत्री मांगू देवी को बख्शीश की गई है। उक्त बख्शीशनामा में अपीलान्ट संख्या–1 ने ग्राम गढ़रिया तहसील जायल जिला नागौर के खसरा नम्बर 135 रकबा 42.07 बीघा व खसरा नम्बर 144/318 रकबा 21 बीघा में शैतानराम रेस्पोडेन्ट को सहहिस्सेदार के नाम पर संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज होने तथा जिसमें 1/2 हिस्सा अपीलान्ट संख्या–1 होने का कथन किया गया है। उक्त तथ्य से रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट संख्या–1 की बिना जानकारी के उसकी खातेदारी की कुल 102 बीघा भूमि में अपीलान्ट संख्या–1 के साथ खातेदार दर्ज दिया जाने का अपीलान्टस् का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में पारिवारिक सम्पति के संबंध में विवाद है, जिसके संबंध में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कार्यवाही हुई है, और जैरकार है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट्स की वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा उसके पुत्र रेस्पोडेन्ट के पास है, जिसे उसके द्वारा आगे अपने पुत्र को बख्शीश कर दिया है तथा शेष 1/2 हिस्सा अपीलान्ट द्वारा अपनी पुत्री को बख्शीश कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पुत्री को भी अपने हिस्से की भूमि बख्शीश की गई है, परन्तु अपने भरण पोषण हेतु उससे किसी भी प्रकार की मांग नहीं करते हुए अपनी पुत्री को प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया है एवं न ही इस संबंध में कोई कारण ही स्पष्ट किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पी.पी.ओ. के

अनुसार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रत्येक अपीलान्ट के नाम 500/–रूपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की हुई है।

रेस्पोडेन्ट में मौखिक बहस में यह स्वीकार किया है कि उसके पास एक बस है, जो रूट पर चलती है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्टस् के पास अपने भरण पोषण के लिए आय का कोई स्त्रोत नहीं है। रेस्पोडेन्ट भी यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलान्ट के पास वर्तमान में स्वंय उनके भरण पोषण के लिए आय का कोई स्त्रोत है। अपीलान्टस् वृद्ध होने से स्वंय अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है।

अपीलान्टस् ने उनके एक पुत्री सन्तान होते हुए भी उन्होने अपने आगामी जीवन को सुखमय व सुरक्षित चलाने के उद्देश्य से पूर्ण आशा के साथ रेस्पोडेन्ट को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट अपीलान्टस् की सम्पति का उपयोग–उपभोग भी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में रेस्पोडेन्ट का अपने वृद्ध माता–पिता अपीलान्टस् की सेवा श्रुषा, देखभाल एवं पूर्ण भरण पोषण का दायित्व बनता है। रेस्पोडेन्ट के पास पर्याप्त सम्पति भूमि एवं वाहन के रूप में होना निंविवादित है एवं उसके पास आय का पर्याप्त साधन होने से रेस्पोडेन्ट अपीलान्टस् का भरण पोषण में सक्षम है। इसलिए अपीलान्टस् को भरण पोषण दिलाया जाना उचित पाते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्टस् के भरण पोषण हेतु, अपीलान्टस् का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता खुलवाकर आगामी प्रत्येक माह की प्रथम 5 तारीख से पूर्व 5000/–रूपये (अक्षरे–पांच हजार रूपये मात्र) प्रति माह अपीलान्टस् के संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जायल को पालना हेतु भिजवाई जावे एवं उनकी मूल पत्रावली लाटाई जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जायल प्रकरण में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 11(2) एव 5(8) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु सक्षम है। आदेश की एक–एक प्रमाणित प्रति अपीलान्टस् व रेस्पोडेन्ट को निशुल्क भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया।

6/1/17

(राजन विशाल)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर